न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :–38 / 2022

प्रार्थी:–

गोबरराम पुत्र पाबूराम जाति रबारी निवासी अन्नपूर्णानगर तहसील सिवाना जिला बाडमेर राज.

बनाम

विप्रार्थीगण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. **श्री गौतमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी**

–:: आदेश ::–

दिनांक :–08.05.22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा अन्नापूर्णानगर पटवार मण्डल सिणेर खसरा संख्या 466 व 451 रकबा 3.3103 व 4.9776 हैक्टयर की भूमि आई हुई है प्रार्थी के सभी राजकीय व अर्द्व सरकारी दस्तावेज यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, व मतदाता परिचय पत्र व अन्य इत्यादि में प्रार्थी का नाम ''गोबरराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी'' दर्ज है। प्रार्थी को सभी जगह इसी नाम से जाना पहचाना जाता है ग्राम पंचायत अन्नपूर्णा द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम '' गोबरराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी'' अंकित है। मौजा ग्राम अन्नपूर्णानगर में आये उपरोक्त खसरा की खातेदारी में प्रार्थी का नाम दर्ज करते समय सहवन से लिपिकीय त्रुटिवश ''बगदाराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी'' अंकित कर दिया जिससे सराकरी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं '' बगदाराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' व '' बगदाराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गया। विप्रार्थी को नोटिस तामिल सुदा प्राप्त । वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत माफिक इस्तदुआ सहमति जाहिर की।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना

हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी का नाम राजकीय दस्तावेजात , सहखातेदारी की सहमति व ग्राम पंचायत अन्नपूर्णानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर ''बगदाराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी'' के स्थान पर '' गोबरराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' किये जाने हेतु निवेदन किया ।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, ,पेनकार्ड व बैंक खाता डायरी दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम अंकित है। ग्राम पंचायत अन्नपूर्णानगर द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि '' गोबरराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' व '' बगदाराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' दोनो एक ही व्यक्ति है साथ ही सहखातेदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने बाबत सहमति प्रदान की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा अन्नपूर्णानगर पटवार मण्डल सिणेर खसरा संख्या 466 व 451 रकबा 3.3103 व 4.9776 हैक्टयर भूमि में अंकित अशुद्ध नाम '' बगदाराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' के स्थान पर ''गोबरराम पुत्र पाबुराम जाति रबारी '' शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:21 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 08.06.22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना